

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-6/वि0पत्रा0-24-15/2023

पटना, दिनांक—

श्री राहुल सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गयाजी अंचल-1, गयाजी को बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक 12.09.2024 से 30.09.2024 तक 19 दिनों एवं दिनांक 15.10.2024 से 06.01.2025 तक 84 दिनों अर्थात् कुल 103 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-15/2023 910

पटना, दिनांक— 16/03/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015 /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), गयाजी अंचल-1, गयाजी/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राहुल सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), गयाजी अंचल-1, गयाजी को सूचनार्थ प्रेषित।

16.03.2026
सरकार के उप सचिव,
बिहार, पटना।